भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं .119
30जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: ऑयल पाम कृषकों का कल्याण
***119. श्री पुट्टा महेश कुमार:**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश मे विशेषतः एलुरु जिले में ऑयल पाम कृषकों की कुल संख्या और इसकी खेती के लिए उपयोग की गई हेक्टेयर भूमि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऑयल पाम कृषकों के समक्ष आ रही अनेक समस्याओं, जैसे- अचानक कीमतों में गिरावट, रूगोज व्हाइटफ्लाई और मलेशिया तथा इंडोनेशिया के आयातित तेल उत्पादों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए किन्ही कल्याणकारी परियोजनओं/पहलों पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर एलुरु जिले में ऑयल पाम कृषकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑयल के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने प्रति टन ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) की बिक्री के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य (एमजीपी) शुरू करने पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा तारांकित में दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ "ऑयल पाम कृषकों का कल्याण" से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लेखित विवरण ।

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई आँध्र प्रदेश में ऑयल पाम के क्षेत्र के विस्तार और कुल ऑयल पाम कृषकों की संख्या के साथ वर्ष-वार और जिला-वार विवरण, एलुरु जिले के डेटा के साथ, **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ख): हां महोदय। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) वर्ष 2021 में देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने, क्षेत्र का विस्तार करने, क्रूड ऑयल पाम के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आयात बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एनएमईओ-ओपी की मुख्य विशेषताओं में कृषकों को पौधारोपण सामग्री के लिए सहायता, अंतरफसल के लिए उत्पादन सामग्री और चार वर्षों की गेस्टेसन अवधि तक रखरखाव, पुरानी बागवानी का पुन: रोपण तथा कुछ अन्य उत्पादन सामग्री जैसे मशीनरी और सिंचाई शामिल हैं। इसके अलावा, उद्योगों को बीज उद्यान, नर्सरी, कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों (एनईएस) में ऑयल पाम के प्रसंस्करण मिल स्थापित करने के लिए भी उद्योगों को समर्थन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, कृषकों को ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, हर महीने (संबंधित राज्यों द्वारा) फार्मूला मूल्य (एफपी) घोषित करने की प्रणाली भी अपनाई जाती है। किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उद्योग को अनिवार्य रूप से फार्मूला मूल्य पर कृषकों से एफएफबी खरीदना होता है। इसके अतिरिक्त, कृषकों के मूल्य जोखिम को कम करने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक वायबिलिटी मूल्य (वीपी) घोषित की जाती है और वायबिलिटी गैप भुगतान (वीजीपी) उस वर्ष के वायबिलिटी मूल्य से फार्मूला मूल्य के निचे गिरने की स्थिति में कृषकों को प्रदान किया जाता है। यह वायबिलिटी गैप भुगतान लाभ 13 ऑयल पाम उगाने वाले राज्यों के ऑयल पाम कृषकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कृषकों को यह लाभ नहीं मिलता है क्योंकि इन राज्यों ने अभी तक एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संबंध में दोनों राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है। चूँकि ऑयल पाम किसानों को मूल्य सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) में फार्मूला मूल्य (एफपी), वायबिलिटी मूल्य (वीपी) और वायबिलिटी गैप भुगतान (वीजीपी) पहले से ही मौजूद है अतः इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के न्यूनतम गारंटी मूल्य का प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईओपीआर), पेडावेगी और डॉ. वाई.एस.आर बागवानी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ऑयल पाम के खेतों में रुगोस स्पाइरलिंग व्हाइटफ्लाई कि समस्या के समाधान के लिए

गाँव स्तर पर दौरा किया गया, कीट नियंत्रण पर जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया और कृषकों द्वारा बेंगलुरु के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो से लिया गया इज़ारिया जैव नियंत्रण एजेंट के व्यापक उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कृषकों को जैव लैब की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है ताकि जैविक एजेंटों का उत्पादन बढाया जा सके और अन्य कृषकों को आपूर्ति की जा सके। इसके अलावा, भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर), पेडावेगी, आंध्र प्रदेश ऑयल पाम के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिसमें रुगोस व्हाइटफ्लाई का नियंत्रण भी शामिल है।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए एनएमईओ-ओपी के तहत आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि निम्नलिखित है:

क्रमांक.	**वर्ष**	**वित्तीय (लाख रुपये में)**	
		आवंटन	**उपलब्धि***
1	2021-22	8144.92	4189.77
2	2022-23	10414.91	6389.58
3	2023-24	15167.61	8881.67

***** केंद्र सरकार द्वारा आवंटित समूची राशि राज्य सरकार को किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है और राज्य सरकार द्वारा किस्तों का समय पर कुशल उपयोग के आधार पर आगे की किस्तें जारी की जाती है। इसलिए उपलब्धि का आकड़ा कम होता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई वर्ष एवं जिला-वार वित्तीय आवंटन और व्यय की गई राशि के विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

(घ): इसका जवाब, पहले ही भाग (ख) में शामिल किया जा चुका है।

अनुबंध-I

आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम के क्षेत्र के विस्तार और कुल ऑयल पाम कृषकों की संख्या का वर्षवार- तथा जिला-वार विवरण

क्र. स.	जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषकों की संख्या	क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषकों की संख्या	क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषकों की संख्या	क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषकों की संख्या	क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर में)	कृषकों की संख्या
1	श्रीकाकुलम	3530	2594	3541	2640	3589	2766	3717	2898	3881	3042
2	पर्वार्थीपुरम मन्यम	6611	3282	7017	3729	7628	4325	8443	5019	9486	5802
3	विज़िआनगरम	9711	5196	9775	5304	9930	5413	10086	5688	10485	5947
4	विशाखापट्टनम	101	45	104	45	104	45	104	50	124	57
5	अल्लूरी सीताराम राजू	3321	2128	3412	2247	3565	2372	3726	2473	4283	2968
6	अनकापल्ली	8486	6769	8600	7040	8854	7658	9433	8226	10328	9189
7	काकीनाडा	13362	11301	13892	12086	14558	13781	15996	15470	18134	18188
8	पूर्वी गोदावरी	23291	15289	23678	15660	24070	17829	26355	20750	29408	23939
9	कोनासीमा	1098	1156	1101	1162	1106	1183	1121	1350	1231	1532
10	**एलुरु***	**92805**	**66932**	**97431**	**72421**	**103439**	**77033**	**106558**	**81010**	**116073**	**90430**
11	पश्चमी गोदावरी							1943	1336	2105	1484
12	एनटीआर	9997	4663	10089	4751	10234	4918	10509	5166	11519	5773
13	कृष्णा	4141	2566	4455	2853	4820	3114	5151	3500	5811	4198
14	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	2543	807	2543	807	2543	812	2555	890	3035	1106
15	तिरुपति	325	148	325	148	325	148	325	178	400	227
16	चित्तूर	46	19	46	19	46	19	46	25	70	49
17	अनंतपुरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	गुंटूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	पल्नाडू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	बापटला	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
21	कर्नूल	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
22	अन्नामय्या	0	0	0	0	0	0	0	0	40	26
23	नंदयाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	व्हाईएसआर कडापा	0	0	0	0	0	0	0	0	102	47
	कुल	**179367**	**122895**	**186009**	**130912**	**194810**	**141416**	**206067**	**154029**	**226527**	**174017**

*एलुरु जिला 2022 में पश्चिमी गोदावरी से अलग कर नया जिला बनाया गया

स्रोत: राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश में एनएमईओओपी के अंतर्गत वित्तीय आवंटन तथा व्यय की गई राशि का वर्षवार- तथा जिला-वार विवरण

(लाख रूपया में)

क्र. स.	जिला	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	श्रीकाकुलम	161.75	91.38	251.38	66.13	306.93	77.61
2	पर्वार्थीपुरम मन्यम	0.00	0.00	574.45	444.33	1121.09	462.11
3	विज़िआनगरम	589.38	299.21	305.49	148.53	504.17	165.04
4	विशाखापट्टनम	309.21	165.83	90.76	1.55	67.14	7.09
5	अल्लूरी सीताराम राजू	0.00	0.00	341.70	63.66	209.35	181.71
6	अनकापल्ली	0.00	0.00	448.44	234.67	919.10	367.15
7	काकीनाडा	0.00	0.00	918.90	617.99	1493.70	878.21
8	पूर्वी गोदावरी	1414.39	742.78	997.63	1235.54	2605.29	1422.74
9	कोनासीमा	0.00	0.00	208.64	40.47	229.96	52.17
10	**एलुरु***	**3570.92**	**2072.79**	**2840.58**	**2639.18**	**5476.35**	**3808.92**
11	पश्चमी गोदावरी			1314.84	134.48	225.32	103.33
12	एनटीआर	0.00	0.00	339.03	164.27	704.64	387.63
13	कृष्णा	1265.95	593.60	435.97	215.19	528.15	270.78
14	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	28.48	4.32	204.02	63.23	475.66	166.95
15	तिरुपति	0.00	0.00	83.11	13.34	78.73	24.80
16	चित्तूर	29.99	3.57	44.21	3.67	72.00	8.50
17	अनंतपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गुंटूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पल्नाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	बापटला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21	कर्नूल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
22	अन्नामय्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
23	नंदयाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	व्हाईएसआर कडापा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23
	मुख्यालय	774.85	216.24	1015.76	303.35	150.03	441.77
	कुल	**8144.92**	**4189.72**	**10414.91**	**6389.57**	**15167.61**	**8881.67**

*एलुरु जिला 2022 में पश्चिमी गोदावरी से अलग कर नया जिला बनाया गया

स्रोत: राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश

******